विनोद जाखड़ को रिहा करने की मांग

सूरतगढ़, (कासं)। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने प्रदेशाध्यक्ष विनोद जाखड़ की गिरफ्तारी पर विरोध जताया है। कार्यकर्ताओं ने जाखड़ की रिहाई की मांग को लेकर सूरतगढ़ एडीएम दीनानाथ बब्बल को राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा।

सूरतगढ़ एनएसयूआई ब्लॉक अध्यक्ष परसराम भाटिया, गगन वीडिंग और यूथ कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता योगेश मेघवाल भी मौजूद रहे। योगेश मेघवाल ने प्रशासन से कहा कि राजस्थान विश्वविद्यालय में 30 सितम्बर को आएसएस द्वारा आयोजित शस्त्र पूजन कार्यक्रम के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया। जिसके बाद प्रदेशाध्यक्ष विनोद जाखड़ समेत कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटना ने राजस्थान में शिक्षा और लोकतंत्र पर सवाल खड़े किए हैं। एनएसयूआई ने विश्वविद्यालय परिसर में शस्त्र पूजन को शिक्षा के मंदिर में अनुचित और डर का माहौल पैदा करने वाला बताया।

शिविर में आपसी सहमति से खाता विभाजन करवाया

■ कलेक्टर ने शिविर में लगाये गए स्टाल्स का अवलोकन किया। इनके द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी ली

बीकानेर,(कासं)। जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि ने गुरूवार को राजेडू में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को राज्य सरकार की मंशा के अनुसार पूर्ण गंभीरता से कार्य करने तथा आमजन को राहत प्रदान करने के निर्देश दिए।

जिला कलेक्टर ने शिविर में लगाये गए स्टाल्स का अवलोकन किया। इनके द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी ली। आमजन की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को भी नियमित जनसुनवाई करने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने कहा कि शिविरों का पूर्व प्रचार करें तथा सभी अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। जिला कलेक्टर की मौजूदगी में अधिकारियों ने आपसी सहमति से खाता विभाजन करवाया। वृष्णि ने आंगनबाड़ी केन्द्र में पहली बार प्रवेश लेने वाले बच्चों को वेलकम किट दी।

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित गोद भराई की रस्म में भागीदारी निभाई। उन्होंने यहां पौधारोपण भी किया। इस दौरान जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सोहनलाल, श्रीडूंगरगढ़ उपखंड अधिकारी शुभम शर्मा, तहसीलदार श्रीवर्धन शर्मा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे।

वहीं पूगल पचांयत समिति की ग्राम पंचायत कुम्हारवाला और गंगाजली में गुरूवार को ग्रामीण सहायता शिविर आयोजित किया। उपखण्ड अधिकारी दिव्या बिश्नोई ने इसका अवलोकन किया। जन समस्याएं सुनी तथा मौके पर इनका निस्तारण किया।

शिविर के दौरान पचांयती राज द्वारा 6 खाता विभाजन किए गए। इनमें हक नवाज पुत्र शरीफ के 11 लोगों के बीच खाता विभाजन हुआ। इनके बीच 20-25 वर्षों से विवाद चल रहा था। जिया उल हक को जन्म प्रमाण पत्र जारी किया गया। कृषि विभाग की तरफ से 165 से अधिक सरसों बीज किट का वितरण, पशुपालन विभाग की ओर से मंगला बीमा पॉलिसी का वितरण किया गया। महिला बाल विकास विभाग की ओर से गोद भराई और अन्नप्राशन उत्सव मनाया गया।

ग्राम बम्बलू में स्वच्छता कार्यक्रम: यूनिवर्सिटी-सोशल रिस्पांसिबिलिटी के तहत पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय बीकानेर द्वारा गोद लिए गांव बम्बलू में ग्राम पंचायत कार्यालय में गुरूवार को स्वच्छता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

वेटरनरी महाविद्यालय बीकानेर की सोशल रिस्पांसिबिलिटी समन्वयक डॉ. प्रियंका कडेला ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों तथा अन्य विद्यार्थियों द्वारा स्वच्छता अभियान एवं श्रमदान किया गया तथा ग्राम वासियों के मध्य संदेश दिया गया कि सभी ग्राम वासियों को मिलकर अपने गांव को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने में अपना सहयोग करना चाहिए। इस अवसर पर ग्राम सरपंच प्रतिनिधि हेतराम कूंकणा, ग्राम विकास अधिकारी (बम्बलू) रामदेव मंडा, मनोज कुमार एवं अन्य ग्राम वासियों का भी सहयोग रहा।

आम से भरा ट्रक बेचकर 6.59 लाख हड़पे

श्रीगंगानगर, (कासं)। ब्रोकर ने फल व्यापारी से बैंगलुरू से आम से भरा ट्रक मंगाया। इसके बाद व्यापारी को जानकारी दिए बिना 6.59 लाख में पूरा माल आगे बेच दिया। व्यापारी ने पैसे मांगे तो देने से इनकार कर दिया। मामला श्रीगंगानगर का है। फल व्यापारी ने सदर थाने में मामला दर्ज कराया है। फल व्यापारी हरित बंसल सदर थाना इलाके के सीजीआर मॉल इलाके का रहने वाला है। व्यापारी ने जिला एसपी को आरोपी ब्रोकर के खिलाफ शिकायत दी। इसके बाद सदर थाने में मामला दर्ज कराया। पीड़ित व्यापारी ने बताया कि शहर के रीको इलाके के उद्योग विहार में उसकी कुकी फ्रूट्स कंपनी एंड वैक्सिंग के नाम से फर्म है। वह किन्नू वैक्सिंग और फ्रूट्स का व्यापार करता है। आरोपी ब्रोकर गुलशन कुमार से व्यापार के दौरान जान-पहचान हुई। गुलशन माल खरीदकर आगे बेचता है। मई 2025 में गुलशन ने एक ट्रक आम मंगवाए। कहा कि माल को रोहताश स्वामी की दुकान नंबर-11 पर बेचकर पैसे दूंगा। मेरे बेटे ने बैंगलुरू से 1248 कैरेट आम का ट्रक मंगवा लिया। 26 मई को ट्रक श्रीगंगानगर पहुंचा। तब वह परिवार के साथ तिरुपति गया हुआ था। मेरी गैर मौजूदगी में गुलशन ने तय दुकान पर माल न बेचकर पंजाब फ्रूट (गंगानगर), हरियाणा फ्रूट कंपनी (डबवाली), स्वास्तिक फ्रूट कंपनी (मलोट) और अन्य जगहों पर बेच दिया।

कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)

क्रमांक:- नियमन/2025/ **सार्वजनिक आपत्ति सूचना** दिनांक : 09/10/2025

सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि कृषि भूमि क्षेत्र में रिहायशी भूखण्ड वाके चक 6 जैड ए मुरब्बा नं. 8 के किला नं. 11 में भूखण्ड संख्या का माप 15 गुणा 35'' फीट के नियमन / पटटा हेतु आवेदक श्री बलराम पुत्र श्री ओमप्रकाश निवासी डाबला तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर इनके भूखण्ड का नियमन किया जाना है। अतः उपरोक्त वर्णित भूखण्ड के आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों / रकबे के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति मय सबूत आपत्ति सूचना के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस के अन्दर अन्दर न्यास कार्यालय में कमरा नं. 17 में प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा बाद मियाद गुजरने अवधि के उपरान्त आवेदक श्री बलराम पुत्र श्री ओमप्रकाश निवासी डाबला तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर चक 6 जैड ए मुरब्बा नं. 8 के किला नं. 11 में भूखण्ड संख्या का माप 15 गुणा 35'' फीट का नियमन / पटटा जारी कर दिया जावेगा। यदि उक्त वर्णित क्षेत्र का पूर्व में नियमन / पटटा जारी होना पाया गया तो वर्तमान पटटा स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। न्यास किसी भी विवाद के लिए जिम्मेवार नही होगा। - सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

राजस्थान सरकार, कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)

क्रमांक : नियमन/2025/RajKaj Ref No.: 18195735 **सार्वजनिक आपत्ति सूचना** दिनांक : 08-10-2025

सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि कृषि भूमि क्षेत्र में रिहायशी भूखण्ड वाके चक 1 ए छोटी मुरब्बा नं. 43/55 के किला नं. 21 में भूखण्ड का माप 15''गुणा 50'-0'' फीट के नियमन/पटटा हेतु आवेदक श्रीमती माया देवी पत्नी संजय कुमार निवासी मकान 29, गली नं. 13, वार्ड नं. 18 सेतिया कॉलोनी श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर इनके भूखण्ड का नियमन किया जाना है। अतः उपरोक्त वर्णित भूखण्ड के आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों/रकबे के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति मय सबूत आपत्ति सूचना के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस के अन्दर-अन्दर न्यास कार्यालय में कमरा नं. 17 में प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा बाद मियाद गुजरने अवधि के उपरान्त आवेदक श्रीमती माया देवी पत्नी संजय कुमार निवासी मकान 29, गली नं. 13, वार्ड नं. 18 सेतिया कॉलोनी श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर चक 1 ए छोटी मुरब्बा नं. 43/55 के किला नं. 21 में भूखण्ड का माप 15''गुणा 50'-0'' फीट का नियमन/पटटा जारी कर दिया जावेगा। यदि उक्त वर्णित क्षेत्र का पूर्व में नियमन/पट्टा जारी होना पाया गया तो वर्तमान पट्टा स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। न्यास किसी भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा। RajKaj Ref No.: 18195735 -सचिव,नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर।

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

क्रमांक : LU2012/SGN/2025-26/101445 **लोक सूचना** दिनांक : 9-10-2025

मैसर्स गुंजन गोयल प्रो. श्रीमती गुंजन गोयल पत्नी श्री पियुष गोयल निवासी मकान नं. 1-ए-09 सेक्टर नं. 01, जवाहर नगर, श्रीगंगानगर ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का पर्यटन इकाई प्रयोजनार्थ के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात् -

क्र.स.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं. / भूमि का विवरण	क्षेत्रफल (हैक्टेयर)
1	चक 5 एमएल तहसील व जिला श्रीगंगानगर	मैसर्स गुंजन गोयल प्रो. श्रीमती गुंजन गोयल पत्नी श्री पियुष गोयल	चक 5 एमएल मुरब्बा नं. 72 के किला नं. 21 में 0.2530 हैक्टे. किला नं. 22 में 0.2530 हैक्टे. किला नं. 23 में 0.2530 हैक्टे. किला नं. 24 / 2 में 0.1699 हैक्टे. कुल 0.9289 हैक्टेयर एवं मुरब्बा नं. 73 के किला नं. 24 में 0.2530 हैक्टे. किला नं. 25 में 0.2530 हैक्टे. कुल 0.506 हैक्टेयर यथाकुल 1.4349 हैक्टेयर	कुल 1.4349 हैक्टेयर

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A for Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है। उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 9-10-2025 को जारी की गई। RajKaj Ref No.: 18193655 - प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

पीडब्लयूडी का इलेक्ट्रिक डिवीजन दो अभियंताओं के भरोसे !

■ तकनीकी कर्मचारियों के पद समाप्त, निगम से मांगी मदद

बीकानेर, (कासं)। सरकारी भवनों के रखरखाव की जिम्मेदारी पीडब्लयूडी की होती है, लेकिन विभाग में तकनीकी कर्मचारियों की कमी के कारण कोई काम समय पर नहीं हो पाता। हालात ये है कि विभाग का इलेक्ट्रिक डिवीजन मात्र दो अभियंताओं के भरोसे चल रहा है। यही कारण है कि पीबीएम हॉस्पिटल सहित सरकारी हॉस्पिटलों में फायर सिस्टम को लेकर कभी गंभीरता नहीं दिखाई गई।

पीडब्लयूडी के इलेक्ट्रिक डिवीजन में एक एईएन और एक जेईएन ही हैं। एक्सईएन शैलेष पाठक का प्रमोशन होने पर जोधपुर तबादला हो गया है। अब एईएन के पास ही एक्सईएन और एसई का भी अतिरिक्त चार्ज है। इसके अलावा डिवीजन में एक मंत्रालयिक कर्मचारी और चपरासी है। तकनीकी कर्मचारियों के दो ही पद बचे हैं वह भी खाली हैं। बेलदार एक भी नहीं है। पिछले 15-20 सालों में जैसे-जैसे पद खाली हुए समाप्त होते गए। अब पूरा काम ठेकेदारों के भरोसे चल रहा है। पीबीएम हॉस्पिटल की 85 साल पुरानी बिल्डिंग की मेंटिनेंस और रिपेयरिंग का काम पीडब्लयूडी के पास है, लेकिन सभी काम ठेके पर हो रहे हैं। यही वजह है कि हॉस्पिटल में फायर सिस्टम लगाने के लिए विभाग ने कभी गंभीरता से प्रयास ही नहीं किए। जयपुर एसएमएस हादसे के बाद फायर सिस्टम की याद आई तो नगर निगम की ओर देखना पड़ रहा है। पीडब्लयूडी ने अग्निशमन अधिकारियों से मदद मांगी है। पीबीएम हॉस्पिटल ने पीडब्लयूडी से फायर सिस्टम का ब्लू प्रिंट मांगा है। दरअसल पीडब्लयूडी के इलेक्ट्रिक डिवीजन ने फायर सिस्टम लगाने के लिए तखमीना बनाने का काम शुरू कर दिया है। पीबीएम में आपदा प्रबंधन के नोडल अधिकारी डॉ. गौरीशंकर जोशी ने कहा है कि नगर निगम के अग्निशमन अधिकारी की मदद से ब्लू प्रिंट बनाया जाए। उसी के आधार पर टेंडर लगाया जायेगा। एसपी मेडिकल कॉलेज से संबद्ध पीबीएम हॉस्पिटल के हल्दीराम मूलचंद हार्ट हॉस्पिटल, 16 नंबर ओपीडी ब्लॉक, सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक और नई मेडिसिन विंग में ही फायर सिस्टम लगा हुआ है। नई मेडिसिन विंग अभी हैंडओवर नहीं हुई है। इसे छोड़ दिया जाए तो बाकी तीन बिल्डिंगों में फायर सिस्टम काम कर रहा है या नहीं इसकी जानकारी किसी को नहीं है। पीडब्लूयूडी इलेक्ट्रिक डिवीजन के एईएन पीयूष सिंह ने बताया कि फायर सिस्टम की जांच की जाएगी। खराब पाए गए तो उनकी मरम्मत भी कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि जिला अस्पताल में भी फायर सिस्टम की जांच की गई है।

अवैध प्लॉट काटकर बेचे, केस दर्ज

बीकानेर, (कासं)। मुक्ताप्रसाद नगर थाना इलाके में एक बुजुर्ग महिला की खातेदारी कृषि भूमि पर भूमाफियाओं ने अवैध तरीके से भूखंड काटकर बेच दिए। महिला ने मुकदमा दर्ज कराया।

जस्सूसर गेट निवासी 65 वर्षीय नवलखी देवी पत्नि मोहनलाल राठी की ओर से एमपी नगर पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि चकगर्बी में मेरी खातेदारी की कृषि भूमि का नामांतरण राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। इसमे करीब 4.5 बीघा पक्की भूमि हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के निकट स्थित है। जिसके राजस्व खसरा नंबर 163, 1042/365, 165 उपनिवेशन खसरा नंबर 751 है। पीड़िता का आरोप है कि चन्द्रप्रकाश, बुलाकी गहलोत, ईश्वर दयाल, शंकलाल एवं अन्य लोगों ने भूमाफियाओं के साथ मिलकर उसकी भूमि के कुछ हिस्से पर प्लॉट काटकर बेच दिया। आरोपियों ने अपने हिस्से से अधिक भूमि बेच दी है।

मंडी व्यापारियों व किसानों का विवाद सुलझा

■ किराए की दुकान पर नीलामी नहीं की जायेगी, सुबह 11 बजे से होगी नीलामी

रायसिंहनगर, (कासं)। अनाज मंडी में किसानों और व्यापारियों के बीच दो दिन से चला आ रहा विवाद सुलझ गया।

मंडी समिति सचिव विमल बिश्नोई की सक्रिय मध्यस्थता के बाद कृषि उपज मंडी समिति में दोनों पक्षों के बीच सहमति बनी, जिससे मंडी में व्यापार फिर से सुचारू हो गया। इस समझौते से किसान, व्यापारी और मजदूर सभी ने राहत की सांस ली है। विवाद को सुलझाने के लिए मंडी समिति में दोनों पक्षों की बैठक आयोजित की गई। शुरूआत में गरमा-गरमी का माहौल था। जब एक व्यापारी ने किसान संघ के प्रतिनिधि पर सवाल उठाए, जिससे किसान और व्यापारी आमने-सामने आ गए। हालांकि अधिकारियों के त्वरित हस्तक्षेप से स्थिति शांत हुई और सचिव बिश्नोई ने धैर्यपूर्वक दोनों पक्षों से संवाद स्थापित किया।

सहमति के मुख्य बिन्दुओं में अब मंडी में कृषि जिंसों की नीलामी प्रतिदिन सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक होगी। साथ ही किसान की फसल को बिना मंडी नीलामी के बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। नीलामी प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए समिति द्वारा निगरानी बढ़ाई जायेगी। किराए की दुकान पर नीलामी नहीं की जायेगी। हड़ताल करने से पहले इसकी सूचना मंडी समिति में देना अनिवार्य होगा। नीलामी बंद होने से पहले संबंधित दुकान की पूरी नीलामी करवाकर, आगे की दुकान की जिंस की एक ढेरी की नीलामी करवाकर बंद की जायेगी। भविष्य में किसी भी विवाद की स्थिति में पहले आपसी संवाद के माध्यम से शांतिपूर्ण समाधान निकालने पर जोर दिया गया। इस फैसले से मंडी में काम फिर से शुरू हो गया है।

राजस्थान सरकार, कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)

Telefax No. 0154-2466652, Email :- SECYUIT.SGNR@RAJASTHAN.GOV.IN Off. Add:- UIT Office, Model Town, Sri Ganganagar (Raj.) 335001

क्रमांक :- नियमन/2025/4411 **सार्वजनिक आपत्ति सूचना** दिनांक : 08.10.2025

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री पवन कुमार पुत्र श्री राजबख्श मक्कड़ निवासी म.नं. 105-ए सेतिया कॉलोनी, श्रीगंगानगर के द्वारा न्यास क्षेत्र में स्थित आवासीय भूखंड का न्यास रिकार्ड में नामान्तरण हेतु आवेदन किया गया है। उक्त भूखंड के सम्बन्ध में न्यास रिकार्ड एवं आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज की स्थिति निम्नानुसार है :-

न्यास रिकार्ड के अनुसार भूखंड का विवरण		आवेदक के द्वारा भूखंड के नामांतरण हेतु प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण
भूखण्ड का विवरण	मूल भूखण्डधारी	दस्तावेज का विवरण
चक 1 ए छोटी मुरब्बा नं. 40/45 किला नं. 13/14 भूखंड माप 20 इंटू 53 फीट भू.सं. ए-105 सेतिया कॉलोनी, श्रीगंगानगर	उक्त भूखंड का पट्टा सं. 2383 दिनांक 25.08.2003 को श्रीमती पुष्पा देवी पत्नी श्री नानक चंद के नाम से जारी किया हुआ है।	श्री पवन कुमार द्वारा उक्त भूखंड को पंजीकृत वसीयतनामा दिनांक 23.01.2019 के द्वारा प्राप्त कर उक्त भूखंड का ऑनलाईन नामान्तरण हेतु न्यास में आवेदन प्रस्तुत किया है।

इस प्रकार उक्त भूखण्ड के सम्बन्ध में उपर्युक्तानुसार दस्तावेजों की प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत कर नामान्तरण चाहा गया है इस संबंध में श्री पवन कुमार पुत्र श्री राजबख्श मक्कड़ निवासी म.नं. 105-ए सेतिया कॉलोनी, श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज/फ्री लीज होल्ड पट्टे के संबंध में कोई आपत्ति है तो सूचना के प्रकाशन के 07 दिवस में पुख्ता दस्तावेजों सहित अपनी आपत्ति/उजर/ दावा निम्न हस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत कर सकते है। उक्त अवधि के दौरान इस भूखण्ड से सम्बन्धित समस्त दस्तावेजों को आमखास/हितबद्ध व्यक्ति के देखने व पढ़ने के लिये कार्यालय समय में खुला रखा गया है। बाद मियाद प्रकरण का निस्तारण कर दिया जायेगा एवं कोई आपत्ति/उजर स्वीकार नहीं होगा।

आवेदन संख्या :- SGNR/FY25-26/MUT/748 - सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

राजस्थान सरकार, कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)

Telefax No. 0154-2466652, Email :- SECYUIT.SGNR@RAJASTHAN.GOV.IN Off. Add:- UIT Office, Model Town, Sri Ganganagar (Raj.) 335001

क्रमांक :- नियमन/2025/4415 **सार्वजनिक आपत्ति सूचना** दिनांक : 08.10.2025

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री तरसेम सिंह पुत्र श्री शेर सिंह निवासी चक 5 जीबीए, तहसील श्री विजयनगर, जिला श्रीगंगानगर के द्वारा न्यास क्षेत्र में स्थित आवासीय भूखंड का न्यास रिकार्ड में नामान्तरण हेतु आवेदन किया गया है। उक्त भूखंड के सम्बन्ध में न्यास रिकार्ड एवं आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज की स्थिति निम्नानुसार है :-

न्यास रिकार्ड के अनुसार भूखंड का विवरण		आवेदक के द्वारा भूखंड के नामांतरण हेतु प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण
भूखण्ड का विवरण	मूल भूखण्डधारी	दस्तावेज का विवरण
चक 6 जैड ए मुरब्बा नं. 33 किला नं. 23 भूखंड माप 30 इंटू 65 फीट भू.सं. आई-03 शालीमार बाग, श्रीगंगानगर	उक्त भूखंड का पट्टा सं. 4034 दिनांक 25.08.2006 को श्रीमती कुसुमलता पत्नी श्री राजेन्द्र कुमार धमीजा के नाम से जारी किया हुआ है।	श्री तरसेम सिंह द्वारा उक्त भूखंड को पंजीकृत बैयनामा दिनांक 12.9.2025 के द्वारा प्राप्त कर उक्त भूखंड का ऑनलाईन नामान्तरण हेतु न्यास में आवेदन प्रस्तुत किया है।

इस प्रकार उक्त भूखण्ड के सम्बन्ध में उपर्युक्तानुसार दस्तावेजों की प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत कर नामान्तरण चाहा गया है इस संबंध में श्री तरसेम सिंह पुत्र श्री शेर सिंह निवासी चक 5 जीबीए, तहसील श्री विजयनगर, जिला श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज/फ्री लीज होल्ड पट्टे के संबंध में कोई आपत्ति है तो सूचना के प्रकाशन के 07 दिवस में पुख्ता दस्तावेजों सहित अपनी आपत्ति/उजर/ दावा निम्न हस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत कर सकते है। उक्त अवधि के दौरान इस भूखण्ड से सम्बन्धित समस्त दस्तावेजों को आमखास/हितबद्ध व्यक्ति के देखने व पढ़ने के लिये कार्यालय समय में खुला रखा गया है। बाद मियाद प्रकरण का निस्तारण कर दिया जायेगा एवं कोई आपत्ति/उजर स्वीकार नहीं होगा।

आवेदन संख्या :- SGNR/FY25-26/MUT/761 - सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

क्रमांक- LU2012/SGN/2025-26/101440 **लोक सूचना** दिनांक- 07.10.2025

श्रीमती नारायणी देवी पत्नी श्री बलराम निवासी वार्ड नं. 14, पदमपुर, जिला श्रीगंगानगर ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का **व्यावसायिक प्रयोजनार्थ** के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात् -

क्र.सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं./भूमि का विवरण	क्षेत्रफल (हैक्टेयर)
1.	चक 3 एमएल तहसील व जिला श्रीगंगानगर	श्रीमती नारायणी देवी पत्नी श्री बलराम	चक 3 एमएल मुरब्बा नं. 06 के किला नं. 3/6 में 0.0380 हैक्टे. किला नं. 8/3 में 0.0633 हैक्टे. यथाकुल 0.1013 हैक्टेयर	कुल 0.1013 हैक्टेयर

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारो के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर एसएसओ आईडी से लॉग इन कर **90-A For Development Authority (UDH)** आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है। उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नही है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज .... को जारी की गयी। - प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

बारिश से फसल नुकसान के मुआवजे की मांग

नोखा, (कासं)। नोखा उपखण्ड क्षेत्र में अतिवृष्टि और चक्रवाती बरसात से फसलों को हुए नुकसान के मुआवजे की मांग को लेकर युवा किसान नेता मगनाराम केड़ली के नेतृत्व में एक ज्ञापन सौंपा गया। यह ज्ञापन स्थानीय प्रशासन को दिया गया।

ज्ञापन में केड़ली ने बताया कि हाल ही में हुई अतिवृष्टि और चक्रवाती बरसात से प्रदेश भर में किसानों की फसलें बुरी तरह प्रभावित हुई है। किसानों ने कर्ज लेकर फसलें बोई थीं, लेकिन पकने के समय हुई इस बारिश से खड़ी और कटी हुई दोनों तरह की फसलें पूरी तरह से नष्ट हो गई जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान हुआ है।

संभागीय आयुक्त को घग्घर में छोड़े जा रहे पानी की समस्या से अवगत करवाया

■ अधिकारियों को दिये आमजन को योजनाओं से लाभान्वित करने के निर्देश

श्रीगंगानगर, (कासं)। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार जिले में जारी ग्रामीण सेवा शिविर एवं शहरी सेवा शिविर का सूरतगढ़ क्षेत्र में संभागीय आयुक्त बीकानेर विश्राम मीणा द्वारा गुरूवार को निरीक्षण किया गया। इस दौरान संभागीय आयुक्त द्वारा निरीक्षण करते हुए अब तक की प्रगति और शिविर में उपलब्ध करवाई जा रही विभागीय सेवाओं के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

उपखण्ड सूरतगढ़ की ग्राम पंचायत करडू में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर में पहुंचकर संभागीय आयुक्त द्वारा निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने शिविर में उपलब्ध करवाई जा रही सेवाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त करते हुए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा के अनुसार शिविरों के माध्यम से आमजन को राहत पहुंचाई जाये। उनकी समस्याओं का निस्तारण करते हुए मौके पर ही कार्यों को पूर्ण करें।

इस अवसर पर टिब्बा क्षेत्र के किसानों ने संभागीय आयुक्त से मुलाकात कर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का क्लेम दिलवाने की मांग करते हुए घग्घर में छोड़े जा रहे पानी की समस्या से अवगत करवाया। मौके पर ही संभागीय आयुक्त द्वारा एडीएम सूरतगढ़ सहित अन्य अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाहियों के लिये निर्देशित किया गया। इसी प्रकार वार्ड नम्बर 15 स्थित राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय में आयोजित शहरी सेवा शिविर का निरीक्षण कर संभागीय आयुक्त द्वारा अधिकारियों से प्रगति की जानकारी ली गई। शिविर में उन्होंने परिवादियों द्वारा बताई जा रही समस्याओं का निस्तारण कर राहत पहुंचाने के निर्देश देते हुए कहा कि प्रत्येक पात्र को योजनाओं से लाभान्वित किया जाये। शिविर में उन्होंने लाभाथिर्यों में पट्टे भी वितरित किये। शिविरों के दौरान एडीएम दीनानाथ बबल, एसडीएम भारत जयप्रकाश मीणा, तहसीलदार विनोद कड़वासरा, पंचायत समिति विकास अधिकारी मेजर अली सहित अन्य मौजूद रहे।

नये एचटी–उद्योग छूट और वृद्धीशील उपभोग छूट

नये उद्योग छूट	मौजूदा (रु./यूनिट)	प्रस्तावित (रु./यूनिट)
एमआईपी एचटी	0.55 (रू./यूनिट)	0.20 (रू./यूनिट)
वृहद	0.85 (रू./यूनिट)	0.30 (रू./यूनिट)

वृद्धीशील उपभोग छूट	मौजूदा (रु./यूनिट)	प्रस्तावित (रु./यूनिट)
एमआईपी एचटी	0.55 (रू./यूनिट)	0.20 (रू./यूनिट)
वृहद	0.85 (रू./यूनिट)	0.30 (रू./यूनिट)

एचटी सीपीपी (Co-Located) उपभोक्ताओं पर लगाए जाने वाले पीओसी शुल्क निम्नानुसार हैं:–

सीपीपी प्रकार	पीओसी शुल्क (रू./केवीए/माह)
परम्परागत सीपीपी	रु. 27.237/केवीए/माह सीपीपी की स्थापित क्षमता का
अक्षय ऊर्जा सीपीपी	रु. 11.90/केवीए/माह सीपीपी की स्थापित क्षमता का
हाइब्रिड सयंत्र	उपर्युक्त दोनों परम्परागत और अक्षय ऊर्जा के अनुपात में

1. नेट मीटरिंग और ग्रॉस मीटरिंग के अंतर्गत रूफटॉप सौर संयंत्रों को समानांतर संचालन शुल्क (पीओसी) से बाहर रखा जाएगा।
2. समानांतर संचालन शुल्क केवल ऑन–साइट/**co-located** लोड द्वारा खपत की गई बिजली तक ही सीमित होगा, ऑफसाइट सीपीपी पर नहीं और यह जनरेटर की शुद्ध क्षमता (**total capacity- open access capacity)** पर लागू होगा।
3. **Co-located** संयंत्रों पर, चाहे उनकी कैप्टिव स्थिति कुछ भी हो, पीओसी शुल्क **Co-located** भार के लिए उपयोग की गई क्षमता तक लागू होंगे। डिस्कॉम द्वारा सीपीपी के साथ किए गए विद्युत क्रय समझौतों (पीपीए) पर कोई पीओसी शुल्क लागू नहीं होगा।

विनियामक अधिभार, ईंधन और बिजली खरीद समायोजन अधिभार (एफपीपीएएस) सहित निम्नानुसार अनुमोदित किया गया है।

विवरण	(रू./यूनिट)
100 यूनिट/माह तक खपत वाले घरेलू उपभोक्ता	0.70
बचे हुए घरेलू और अन्य श्रेणी के उपभोक्ताओं पे लागू होगा।	1.00

- उपरोक्त नियामक अधिभार मय ईंधन और बिजली खरीद समायोजन अधिभार (एफपीपीएएस) आरईआरसी टैरिफ विनियम 2025 के विनियम 87 के अनुसार लगाया जाएगा।
- माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में डिस्कॉम द्वारा **change in law** के कारण उत्पन्न अतिरिक्त लागत की वसूली के लिए आयोग द्वारा दिनांक 01.09.2022 के अपने आदेश के माध्यम से अनुमत 0.07 रुपये/यूनिट के विशेष एफएसए पर अलग से लिया जाएगा।

नोट :– वर्तमान में वह सभी प्रावधान जो कि इस आदेश में संशोधित नही किये गये है, लागू रहेंगे।

अधीक्षण अभियंता (रेगूलेशन)
जयपुर/अजमेर/जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

जेपीआर 3065(2025)
राज.संवाद/सी/25/11809

मारपीट कर जातिसूचक गालियां निकाली

नोखा, (कासं)। स्थानीय थाने में जातिसूचक गाली देने और मारपीट करने के आरोप में एक मामला दर्ज किया गया है। इस संबंध में गोगलियान जेगला निवासी मंजू मेघवाल ने मामला दर्ज करवाया है। उसने बताया कि वह और उसके पति जेगला गांव की रोही में राजाराम बिश्नोई के कृषि कुएं पर काश्त करते हैं। चार अक्टूबर को उनके पति बीकानेर गए हुए थे और ढाणी में वह अपनी देवरानी छैलू के साथ थी। दोपहर करीब 4 बजे राकेश उनके खेत में आया और जबरन अपने पशु घुसा दिए। जब पशुओं को निकालने गई तो जातिसूचक गाली दी और जान से मारने की धमकी देते हुए उनके पीछे दौड़ा। इसी दौरान मोखराम की ढाणी से मोखराम, उसकी पत्नी और पुत्री भी खेत में आ गए। सभी ने मंजू को गालियां दी और मुक्कों व थाप से मारपीट की।

गैंगस्टरों की संपत्ति जब्त करेगी पुलिस

■ बीकानेर रेंज में हार्डकोर अपराधियों के खिलाफ पुलिस ने कमर कसी

बीकानेर, (कासं)। रेंज में पुलिस गैंगस्टर और हार्डकोर अपराधियों के पीछे पड़ेगी। इनकी संपत्ति जब्त की जायेगी। बीकानेर रेंज में पुलिस गैंगस्टर और हार्डकोर अपराधियों के खिलाफ सख्त रवैया अपनायेगी। इन लोगों के विरूद्ध कार्ययोजना तैयार कर ली गई है और अब इनकी गिरफ्तारी और संपत्ति जब्त की जायेगी। बीकानेर रेंज के आईजी हेमंत शर्मा ने अपने कार्यालय में चारों जिलों के एसपी की मीटिंग ली।

इस दौरान निर्देश दिए की गैंगस्टर और हार्डकोर अपराधियों के खिलाफ सख्ती से कार्यवाही करें और उन्हें सलाखों के पीछे डालें। ऐसे अपराधियों की संपत्ति जब्त कर ली जाए। एक्सीडेंट रोकने पर प्राथमिकता से काम करने के लिए कहा गया। आईजी ने धरना-प्रदर्शन के दौरान पुलिस को सख्ती बरतने, लेकिन संवेदनशील होकर मामले को हैंडल करने के निर्देश दिए। आईजी ने चारों जिलों के एसपी से आपराधिक और कानून व्यवस्था के बारे में जानकारी ली। मीटिंग में बीकानेर एसपी कावेंद्रसिंह सागर, श्रीगंगानगर एसपी अमृता दूहन, चूरू एसपी जय यादव और हनुमानगढ़ एसपी हरिशंकर मौजूद थे।